सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण आख्या
जनपद–भदोही
दिनांक 26, 27 व 28 अगस्त, 2015

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशों के अनुपालन में राज्य स्तरीय तीन सदस्यीय भ्रमण दल डा0 पी.के. श्रीवास्तव, उपमहाप्रबन्धक, ई.एम.टी.एस., श्री आशीष मौर्य, परामर्शदाता एवं दिनेश पाल सिंह, कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जनपद भदोही की स्वास्थ्य इकाइयों का सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण दिनांक 26, 27 एवं 28 अगस्त, 2015 को किया गया है। बिन्दुवार आख्या निम्नवत है–

1. **जिला चिकित्सालय भदोही (27.08.2015)**

- अस्पताल भवन अच्छी स्थिति में था एवं वार्डों में सफाई की स्थिति संतोषजनक थी। दीवाल लेखन एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें जैसे ड्यूटी रोस्टर, दवाओं का स्टाक आदि सही ढंग से प्रदर्शित की गयी थीं।
- बायो वेस्ट डिस्पोजल हेतु अनुबंधित एजेन्सी द्वारा डिस्पोजल का कलेक्शन किया जा रहा था। कलर कोडेड बिन्स का भी प्रयोग किया जा रहा था।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली रु0 1400.00 की धनराशि का वितरण अद्यतन नहीं था। माह अगस्त 2015 में 46 लाभार्थियों में से मात्र 16 लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान किया गया था। प्रसव के उपरान्त लाभार्थी के खाते में धनराशि अवमुक्त किये जाने का सुझाव दिया गया। दिनांक 28.08.2015 को अधीक्षक द्वारा फोन पर अवगत कराया गया कि समस्त लाभार्थियों के खातों में धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है।
- जिला अस्पताल में विगत कई माह से कोई भी सीजेरियन प्रसव नहीं कराया गया है एवं गर्भवती महिलाओं को रेफर किया जा रहा है जबकि अस्पताल में 01 गायनेकोलोजिस्ट, 02 एनेस्थेसिस्ट एवं 01 पेडीट्रीसियन तैनात है। जिला अस्पताल में सीजेरियन प्रसव की सेवा प्रदान किये जाने का सुझाव दिया गया।
- वर्ष 2014–15 में रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति की मात्र बैठकों का आयोजन विगत 01 वर्ष से नहीं किया गया है। बैठकों का आयोजन नियमानुसार नियमित किये जाने एवं कार्यवाही का विवरण निर्धारित प्रारुप में अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया।
- ए.एम.जी. ग्राण्ट के रुप में प्राप्त रु0 5.00 लाख की धनराशि का उपयोग नहीं किया गया था। प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत नियमानुसार धनराशि के उपयोग का सुझाव दिया गया।
- आ0ई0ई0सी0 के तहत ए.एन.सी./पी.एन.सी. वार्डों में दीवाल लेखन नहीं कराया गया और एच.बी.एन.सी. प्रोटोकाल पोस्टर भी उपलब्ध नहीं थे। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेश/सूचनाओं का लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को दिये जा रहे भोजन एव ंनाश्ते के विवरण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- शिकायत पेटिका तो अस्पताल परिसर में थी किन्तु शिकायतों के पंजीकरण व निस्तारण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं तैयार किये जा रहे थे। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।

2. <u>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालापुर (नान एफ.आर.यू.– 27.08.2015)</u>

- अस्पताल के भवन की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। खिडकियों के शीशे टूटे हुए थे एवं जाली भी नहीं थी।
- पी.एच.सी. में विद्युत कनेक्शन नहीं था। इस प्रकरण पर मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से निराकरण कराये जाने का निर्देश डी.पी.एम. को दिया गया।
- आई.ई.सी. की स्थिति अत्यन्त खराब थी।
- ई.डी.एल. लिस्ट प्रदर्शित नही की गयी थी।
- मानकानुसार 108 व 102 का दीवाल लेखन नहीं कराया गया था। प्रभारी चिकित्साधिकारी से नियमानुसार दीवाल लेखन कराये जाने का अनुरोध किया गया।
- सिटीजन चार्टर व अन्य सूचनाओं जैसे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम व टीकाकरण आदि का दीवाल लेखन नहीं कराया गया था। प्रभारी चिकित्साधिकारी से नियमानुसार दीवाल लेखन कराये जाने का अनुरोध किया गया।
- पी.एच.सी. में ए.एन.एम. तो तैनात थी किन्तु माह में मात्र 01 से 02 प्रसव ही कराये जा रहे थे। सेवायें नियमित रुप से प्रदान किये जाने का सुझाव दिया गया।
- आपरेशन थियेटर फंक्शनल नही थी। नसबन्दी कैम्प आदि का आयोजन भी नहीं किया जा रहा था।

3. <u>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपीगंज (नान एफ.आर.यू.–28.08.2015)</u>

- अस्पताल परिसर का रखरखाव संतोषजनक नहीं था, बिस्तरों पर चादर आदि नहीं थे।
- आ0ई0ई0सी0 के तहत पी.एन.सी. वार्डों में दीवाल लेखन नहीं कराया गया और एच.बी.एन. सी. प्रोटोकाल पोस्टर भी उपलब्ध नहीं थे। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेश/सूचनाओं का लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- ईडीएल लिस्ट का दीवार लेखन उपलब्ध नहीं था।
- जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली रु0 1400.00 की धनराशि का वितरण अद्यतन नहीं था। प्रसव पश्चात महिलाओं को निर्धारित समय तक अस्पताल में रोका नहीं जा रहा था। माह अप्रैल, 2015 से माह अगस्त, 2015 की अवधि के 1054 लाभार्थियों में से मात्र 816 लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान किया गया था। प्रसव के उपरान्त लाभार्थी के खाते में धनराशि अवमुक्त किये जाने का सुझाव दिया गया।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को दिये जा रहे भोजन एव नाश्ते का विवरण निर्धारित प्रारुप/अभिलेख के रुप में उपलब्ध नहीं था। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- आशा इंसेटिव का भुगतान नियमित नहीं था। 558 के सापेक्ष मात्र 51 को ही भुगतान किया गया था। भुगतान नियमित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- वर्ष 2015–16 में रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गयी थी। कार्यकारी समिति की मात्र बैठकें की कार्यवाही भी निर्धारित प्रारुप में अंकित नहीं की जा रही थी। बैठकों का आयोजन नियमानुसार नियमित किये जाने एवं कार्यवाही का विवरण निर्धारित प्रारुप में अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया।
- जे.एस.वाई वार्ड में टीवी उपलब्ध नहीं था। अधीक्षक से आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया।
- आपरेशन थियेटर में सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं थी।
- सपोर्टिव सुपरविजन एवं आर.बी.एस.के. हेतु अनुबन्धित वाहनों की लागबुक में विवरण सही प्रकार से दर्ज नहीं किया जा रहा था। लागबुक के सही रखरखाव हेतु निर्देशित किया गया।

4. <u>उपकेन्द्र चकमानधाता (28.08.2015):</u>
    - उपकेन्द्र भवन का रखरखाव अच्छा था। आई.ई.सी. व दीवार लेखन सही प्रकार से किया गया था।
    - रिकार्ड का रखरखाव संतोषजनक था एवं विवरण अद्यतन था। वी.एन.एच.एन.सी. एवं अनटाइड फण्ड के लिए अलग–अलग कैशबुक तैयार नहीं की जा रही थी। ए.एन.एम. को दोनों फण्ड के लिए अलग–अलग कैशबुक तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
    - वी.एन.एच.एन.सी. की बैठकों का आयोजन नियमित रुप से किया जा रहा था।
    - ए.एन.एम. की टीकाकरण एवं अन्य सभी कार्यक्रमों से सम्बन्धित जानकारी अच्छी थी।
    - आंगनबाड़ी कार्यकत्री को सत्र में पोषाहार एवं वजन मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं ग्रोथ चार्ट अपडेट करने का सुझाव दिया गया।
    - ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति वीरा की बैठक दिनांक 13.05.2015 को सम्पन्न हो चुकी थी।